राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.18(आई–105)आईडब्ल्युएमपी/निजभूस/2012/3296-3315 दिनांक : 29/6/12

–: कार्यालय आदेश :–

विभागीय पत्रांक 78–348 दिनांक 28.04.2010, 407–71 दिनांक 18.05.2010 एवं आदेश क्रमांक 4721–5178 दिनांक 08.03.2011 के माध्यम से एवं भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायतवार एक जलग्रहण समिति गठित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में ग्रामों के मध्य दूरियां अधिक होने एवं एक ग्राम पंचायत में एक ही परियोजना के अन्तर्गत 4000 से 6000 हैक्टेयर तक का परियोजना क्षेत्र सम्मिलित होने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है।

समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुच्छेद 44 के अनुसार एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव सम्मिलित होने पर परियोजना के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप समिति गठित किये जाने का प्रावधान है।

अतः बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इन जिलों में क्रियान्वित की जा रही आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं के लिए प्रत्येक परियोजना में सम्मिलित ग्राम पंचायत, जिनमें एक से अधिक ग्राम सम्मिलित हों, ग्रामवार एक उप समिति, जहां आवश्यकता समझी जावें, गठित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :–

1. इन परियोजनाओं हेतु प्रत्येक परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायतवार एक उप समिति (जलग्रहण) का गठन किया जायेगा एवं ग्रामवार गठित उप समिति उक्त ग्राम पंचायत स्तर पर गठित उप समिति (जलग्रहण) के अधीन कार्य सम्पादित करेगी।
2. ग्रामवार गठित उप समिति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के अध्याधीन ग्राम में परियोजना के प्रबन्धन एवं कार्यों के सम्पादन हेतु सहयोग प्रदान करेगी।
3. ग्रामवार गठित उप समिति को किसी प्रकार की कोई वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होगी।
4. ग्रामवार गठित उप समिति का पृथक से कोई बैंक खाता नहीं खोला जायेगा एवं ना ही परियोजना की राशि इन्हें हस्तान्तरित की जायेगी।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर गठित उप समिति (जलग्रहण) के स्तर पर ही पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जायेगा, ग्रामवार गठित उप समिति स्तर पर कोई रिकार्ड संधारित नहीं होगा।
6. ग्रामवार गठित उप समिति हेतु पृथक से सचिव नहीं रखा जायेगा।

[illegible] की जल मित्री उप समिति के सदस्यों का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के [illegible] में आमसभा आयोजित कर किया जायेगा। यह उप समिति मात्र [illegible] के प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन में सहयोग हेतु ही गठित की जायेगी तथा इनके माध्यम से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह आदेश मात्र जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु ही लागू होंगे।

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक

क्रमांक: एफ.18(आई–105)आईडब्ल्युएमपी / निजभूस / 2012 / 3256 – 3319 दिनांक : 25/6/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जैसलमेर / बाड़मेर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर / बाड़मेर।
8. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII) / परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), जिला परिषद, जैसलमेर / बाड़मेर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेशों की प्रति सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध करावें।
10. लेखाधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर / बाड़मेर।
11. समस्त पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति ....जिला जैसलमेर / बाड़मेर।
12. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक